हिन्दी सलाहकार समिति

1612. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी कभी भी नियमानुसार चार बैठकें नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय भाषा के प्रचार, प्रसार और प्रयोग के लिये टेलीप्रिन्टर, टैलेक्स, कम्पयूटर, इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर आदि जैसे आवश्यक यंत्रों की इस मंत्रालय में कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण राजभाषा के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से पूरे नहीं किये जा सके हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम को परा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गये हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) वित्त मंत्रालय को हिन्दी सलाहकार समिति के स्थान पर हाल ही में दो अलग-अलग हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है—एक राजस्व विभाग और व्यय विभाग के लिए और दूसरी बैंकिंग और बीमा सहित आर्थिक कार्य विभाग के लिए । राजस्व और व्यय विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति जिसकी अवधि सितम्बर 1985 में समाप्त हो गई थी का पहले ही पुनर्गठन कर दिया गया है । प्रशासनिक कारणों से पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष मूल समिति की चार बैठकें आयोजित करना संभव नहीं हो सका था। 30 मार्च, 1985 से पुनर्गठित नई समिति की एक बैठक पहले ही हो चुकी है।

(ख) और (ग) मंत्रालय सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधन के रूप में इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर, कम्पयूटर आदि जैसे देवनागरी इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के प्रयोग की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से जागरूक है । तथापि, इन उपकरणों के अभाव के परिणामस्वरूप हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में रुकावट नहीं आई है । इस मंत्रालय का देवनागरी इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का यथासम्भव अधिकाधिक प्रयोग करने का इरादा है । बशर्ते कि ये उपलब्ध हों और उनके उपयोग किये जाने की आवश्यकता हो ।

Recruitment of labour for employment abroad through Government Corporation

1613. SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Central Government propose to allot a dominant role to Government Corporations in the matter of recruitment of labour for employment abroad; and

(b) if so, what are the details thereof?

*THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) Yes, Sir.

(b) The Government has requested certain states from where a large number of Indians go for overseas employment to set up Overseas Manpower Corporation. Delhi has responded positively towards this request.

Legislation for making workers' participation in various sectors compulsory

1614. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to bring about a legislation making workers' participation in public, private and co-operative sector establishment compulsory; and

(b) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) and (b) The matter relating to "Workers' Participation in Management and the question of statutory provisions" was discussed at the 28th Session of the Indian Labour Conference held at New Delhi on 25th and 26th November, 1985. The question whether this Scheme should be voluntary or should be implemented by legislation was left to be considered by the Standing Labour Committee.

Loan disbursed by the Financial Institutions

1615. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the State-wise loans sanctioned and disbursed by each term lending financial institution as at the end of March, 1985; and

(b) what is the share of each State (in per cent) in the total disbursement by each term lending financial institution?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Available information as at the end of March, 1985, relating to All-India term lending institutions viz., Industrial Development Bank of India (IDBI), Industrail Finance Corporation of India (IFCI) and Industrial Credit & Investment Corporation of India (ICICI) is set out in Statements I and II (See bleow)

Statement-I

Statewise/Institution-wise assistance sanctioned upto end—March, 1985

(Rs. in crores)

State	Cumulative upto end—March, 1985		
	IDBI	IFCI	ICICI
1	2	3	4
1. Andhra Pradesh	1234.85	[illegible]	236.83
2. Assam	131.08		16.56
3. Bihar	392.01	63.46	109.98
4. Gujarat	1964 [illegible]		425.08
5. Haryana	453.53		[illegible]2.04
6. Himachal Pradesh	157.08	26.64	18.06
7. Jammu & Kashmir	146.36	13.66	7.65
8. Karnataka	1052.84		214.15
9. Kerala	482.31		56.21
10. Madhya Pradesh	597.87	[illegible]	127.95